

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
सवाई माधोपुर

क्रमांक: स्था./प.15/विविध/आदेश/1/2018/60


दिनांक 27.03.2018

आदेश

राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या F.3(33)DOP/A-II/85 Jaipur Dated 19-07-2017 द्वारा, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (ii) 'क' एवं 'ख' में किए गए संशोधन एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक स्था.(अधि.न्याय)/02 दिनांक 23.09.2017 द्वारा न्यायक्षेत्रों में वर्तमान में स्वीकृत कुल पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है। तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक जी/आई/ए-4(1)(ए)27/14/6301 दिनांक 26.03.2017 द्वारा स्वीकृत पदों का लाभ दिनांक 01.04.2003 से दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः उक्त अधिसूचना/आदेश/पत्र की अनुपालना में सवाई माधोपुर न्यायक्षेत्र में कार्यरत श्री पूनाराम मीना, शीघ्रलिपिक ग्रेड-1A को आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर पे बेण्ड-2, 9300-34800, ग्रेड पे-4800(14) दिनांक 30.01.2016 से पदोन्त किया जाता है।

श्री मीना की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जावे।


  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
सवाई माधोपुर

क्रमांक: स्था./522-24

दिनांक: 27.03.2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर
3. श्री पूना राम मीना  
को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. आदेश/निजी/सम्बन्धित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
सवाई माधोपुर